



कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, गांधी मैदान के पास, रायपुर (छ.ग.)

फोन.नं. 0771-2535780, 90 फैक्स 0771-2227395,



क्रमांक ...4.76...../NULM/न.पा.नि./24

रायपुर, दिनांक 20/02/2024

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

भारत सरकार आवास एवं शहरी मंत्रालय के अमृत मित्र योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत NULM से पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह के द्वारा अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित 09 उद्यानों के संचालन एवं संधारण हेतु एवं 12 उच्चस्तरीय जलागारों के रखरखाव हेतु एवं जलशुद्धिकरण संयंत्र के तकनीकी एवं अन्य कार्य हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी अनुभवी एवं पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह संस्थाओं से इम्पैनलमेंट हेतु सीलबंद आवेदन दिनांक 26.02.2024 को अपरान्ह 4.00 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित किये जाते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं नियम शर्तें नगर पालिक निगम मुख्यालय गांधी सदन के कक्ष क्र.411 से प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक स्वसहायता समूह को अपने आवेदन के साथ दिनांक 26.02.2024 को उक्त कार्य हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।

किसी भी EOI को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित होगा।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)

भारत सरकार आवास एवं शहरी मंत्रालय के अमृत मित्र योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत NULM से पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह के द्वारा अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित 09 उद्यानों के संचालन एवं संधारण हेतु एवं 12 उच्चस्तरीय जलागारों के रखरखाव हेतु एवं जलशुद्धिकरण संयंत्र के तकनीकी एवं अन्य कार्य हेतु तकनीकी एवं गैर तकनीकी अनुभवी एवं पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह संस्थाओं से इम्पैनलमेंट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश :-

1. स्वसहायता समूह से कराये जाने वाले तकनीकी कार्य :-


- समूहों के द्वारा वॉटर मीटर बिलिंग एवं कलेक्शन।
- बिल पीओएस मशीन के द्वारा तैयार करना एवं वितरण करना।
- कर वसूली।
- जलकर एवं सम्पत्ति कर की वसूली।
- पाईप लाईन के वॉटर लीकेज का रिपेयरिंग कार्य।
- वेसिक प्लम्बिंग कार्य।
- जल शुद्धिकरण संयंत्र के अंतर्गत वॉटर क्वालिटी सैम्पलिंग।
- जनअदालत एवं अन्य कार्यक्रम जिसपर पेयजल समस्याओं को खोजना।
- संयंत्र परिसर का सफाई, गार्डनिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्य।
- एफ.एस.टी.पी. 100 KLD के नीचे संयंत्र परिसर का सफाई, गार्डनिंग एवं सौंदर्यीकरण कार्य।

2. स्वसहायता समूह से कराये जाने वाले गैर तकनीकी कार्य :-

- समूहों के द्वारा अंतिम उपभोग हितग्राही के यहां फिल्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से वॉटर क्वालिटी टेस्ट।
- महिला स्वसहायता समूह के द्वारा शासकीय संस्था/सरकारी कंपनी, एजेंसी या संगठन से वॉटर टेस्टिंग निर्धारित लैव के माध्यम से कराया जाना।
- सार्वजनिक उद्यान एवं क्रिडास्थल की नियमित सफाई।
- वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण एवं संधारण कार्य।
- वॉल पेंटिंग, ग्रैफिटी पेंटिंग एवं लोकल कलाकारों के माध्यम से जल सुरक्षा अभियान।

इम्पैनलमेंट हेतु अनिवार्य शर्तें एवं पात्रता –

1. स्वसहायता समूह NULM में पंजीकृत हो एवं उनके द्वारा नियमित समीक्षा बैठक, आय-व्यय का लेखाजोखा, नियमित भुगतान, सेविंग आदि होना चाहिए।
 2. स्वसहायता समूह के कम से कम एक सदस्य को आठवीं कक्षा तक एवं डिजिटल की जागरूकता होना चाहिए।
 3. स्वसहायता समूह का एक्टिव बैंक एकाउण्ट समूह के नाम से हो।
 4. कोई क्रिमिनल और कोई असामाजिक रिकार्ड ना हो।
 5. स्वसहायता समूह का जल आधारित गतिविधियों/निर्माण कार्य के अनुभव को प्राथमिकता दिया जाना है।
 6. स्वसहायता समूह जिन वार्डों में कार्य कर रही हैं उन्हें भी कार्य में प्राथमिकता दिया जाना है।
 7. वर्तमान में स्वच्छता दीदी को निर्धारित प्रतिमाह मानदेय राशि अनुसार एवं समय-समय पर शासन के संशोधन अनुसार ही स्वसहायता समूह को मानदेय दिया जावेगा।
- महिला स्वसहायता समूह उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों एवं पात्रता अनुसार दस्तावेज एवं सहमति पत्र के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायपुर (छ.ग.)